



आरबीटिस्ट  
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148  
(जिला कलेक्टर) टांक

- 1012 -

आभिषेक अग्रणी संख्या 2 में जगद प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु मैंने ख0न0 104 कि०मी० में स्थित मकान/म्यूण्ड वाके ग्राम नजीरपुरा में अवाप की गई है। अवाप मैंने पर निर्माण आदि का मुआवजा राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा अंकित खर्च एवं एजेंसी की सर्व रिपोर्ट के अनुसार संबंधित विवाहिकाएँ को विधि के

प्रकरण एवं रिजिस्टर कर तलबी अग्रणीकरण की गई एवं अगले पत्रावली तक की गई। अगले पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष की सहस्य मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र का साक्षात् इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण में ग्राम नजीरपुरा तहसील जिनियारा की मैंने ख0न0 104 कि०मी० में स्थित मकान/म्यूण्ड का मुआवजा विपक्षीयण द्वारा गलत निर्धारण कर लीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थना अपनी मैंने पर स्थित मकान/म्यूण्ड का बाजार मूल्य की दर से 10,00,000 रुपये का मुआवजा का निर्धारण कर मकान/म्यूण्ड का बाजार मूल्य की दर से 10,00,000 रुपये का अतिकारी है। अतः सरकारी मैंने पर स्थित परिसम्पत्तियों का अगले दिनांक 27.09.2021 को निरस्त कर मकान/म्यूण्ड का बाजार मूल्य की दर से 10,00,000 रुपये का

दिनांक 06.05.2026

निर्णय

- (1) श्री दीनदराम चौधरी, आभिषेक प्रार्थी उपस्थित
- (2) श्री खेमचन्द शर्मा, आभिषेक अग्रणी संख्या-2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

अग्रणीकरण.....

- 1-सहम प्राधिकारी मैंने अवापित,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन (उपखण्ड अतिकारी) जिनियारा जिला टांक राज0
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना डेकॉड, जिनियारा जिला टांक राज0

बनाम

हरिसम पुत्र भार्गवा जाति बैरवा निवासी नजीरपुरा तहसील जिनियारा जिला टांक राज0

प्रकरण संख्या  
प्रतिदि दिनांक  
07/2022  
07.02.2022

(टीना डाबी,आई0ए0एस0 द्वारा अध्याक्षित)  
न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीटिस्ट) टांक



प्रार्थी के पास अपने मकान/अखण्ड का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजात (पट्टा) नहीं है। प्रार्थी का मकान/अखण्ड पक्का है जिसका मूआवजा वल्यूएशन करने से खालिज किया जाता है। तलाशदा रिपोर्ट मय निर्णय प्रति सक्षम

तहसीलदार (मं.अ.) उनीयारा मं. अलीगढ जिला टोक के इस्तेफार है। पर सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उखण्ड अलीगढ जिला टोक व ए.आइ. द्वारा अवाल 1,12,911/- पारित किया गया है। वक्त Valuation Report INFRADESINGS PVT. LTD. द्वारा 1,12,911/- निर्धारण करने के उपरान्त एन.एच. परिसम्पत्ति का Valuation Report of Immoveable Property By HORIZON 1 ग्राम नजीरपुरा में खसरा संख्या 104 पर सरकारी भूमि पर स्थित Single Story से है।

मकान/अखण्ड की वल्यूएशन शीट की सत्यप्रतिनिधि सजावट गई है, जो निम्न प्रकार पत्र क्रमांक:-एसडीओ/मं.अ.वा./148 एन/330 दिनांक 05.04.2022 से प्रार्थी के नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवादा)एव उखण्ड अधिकारी उनीयारा के 10,00,000 रुपये बादा गया है परन्तु उनके द्वारा इसकी लायट से साक्ष्य-सर्वत प्रस्तुत गया है। प्रार्थी द्वारा अवादाशुदा मकान/अखण्ड का मूआवजा बाजार मूल्य की दर से अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मूआवजा का निर्धारण नियमानुसार किया गया है, किस्म जमीन मं.अ.आवादी वक्त ग्राम नजीरपुरा का राजमार्ग संख्या 148 एन उखण्ड अधिकारी उनीयारा द्वारा प्रार्थी के मकान/अखण्ड पत्रावली का स्थानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवादा अधिकारी सर्वेक्षण वलवा/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उखण्ड दस्तावेजात अवाल इतने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अपार्थी संख्या-2 मुनी।

प्रार्थना पत्र खालिज योग्य है। द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अवाल जारी किया है जो उचित है। अतः अतिकल शी। प्रार्थी को निर्मित संरचनाओं का मूआवजा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी विभाग द्वारा समुच्च (वेट) किया गया। जमीन की किस्म मं.अ.आवादी राजस्व रिपोर्ट से तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण मं. पी.डब्ल्यू.डी. की बी एस आर (बैसिक डिस्ट्रिक्ट आफ रेस्ट) के आधार पर स्वतंत्र सर्वे एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध आदेशा. दिया गया साथ ही संबंधित तहसीलदार को उनके पत्रावली एवं निरदावली सहित आदेश का सर्वे कर मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कार्य करने का मूआवजा शीट के निर्धारण बाबत पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उक्त अवादा भूमियाँ एवं निर्माण की से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। अवादा शीट भूमि से स्थित संरचनाओं/निर्माण की गया। धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अतिकल रूप भूमि अवादा अधिकारी द्वारा संबंधित डिवाइसिबिलिटी के एक से अवाल पारित किया की गई उनका विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्कारण किये जाने के उपरान्त सक्षम आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, जिस-जिस व्यक्ति द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार अवाल पारित किया गया है। अवादा भूमि का अधिनियम की धारा

आरबीएल/एल/एल/एल-148 एन  
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-148  
(जिला कलेक्टर) टोक

(टीना लोधी)

—  
—

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

प्राधिकारी भीम अर्वादि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-148 एन (उपखण्ड आधिकारी) लनियारा को प्रेषित किया जावे।

